Journal Homepage: www.ijarpr.com ISSN: 3049-0103 (Online)

International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 03, Issue 9, pp 407-417, September, 2026

दिव्यांगजनों के लिए शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं की पहुँच एवं सामाजिक दृष्टिकोण का अध्ययन: अधिकार-आधारित एवं सार्वभौमिक समावेशन के परिप्रेक्ष्य में

अरविन्द कुमार तिवारी [1], डॉ. ए.के. सिन्हा [2]

[1] शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश)

[2] प्रोफ़ेसर, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला मैहर (मध्यप्रदेश)

सारांश

दिव्यांगजन समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति, गरिमापूर्ण जीवन, समान अवसरों तथा विकास की मुख्यधारा में सहभागिता किसी भी समावेशी समाज की महत्वपूर्ण कसौटी मानी जाती है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सहायता, पुनर्वास तथा सहायक उपकरण संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को समान अधिकार, अवसर एवं सामाजिक सहभागिता उपलब्ध कराना है। तथापि, शासकीय योजनाओं की उपलब्धता और उनके वास्तविक लाभ के बीच जागरूकता, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, सामाजिक दृष्टिकोण तथा स्थानीय परिस्थितियों के कारण अंतर दिखाई दे सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं की पहुँच तथा उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना है। अध्ययन में दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेशन को अधिकार-आधारित एवं सार्वभौमिक समावेशन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के क्षेत्रीय संदर्भ के रूप में मध्य प्रदेश के रीवा जिले की त्योंथर तहसील को भी ध्यान में रखा गया है, जिससे ग्रामीण एवं स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में विषय को समझने में सहायता मिलती है। अध्ययन में यह विचार किया गया है कि सरकारी सुविधाओं की जानकारी, उपलब्धता एवं उपयोगिता के साथ-साथ परिवार, समुदाय और सामाजिक संस्थाओं का दृष्टिकोण दिव्यांगजनों के जीवन एवं सामाजिक सहभागिता को किस प्रकार प्रभावित करता है।

अध्ययन यह रेखांकित करता है कि दिव्यांगजनों का वास्तविक सशक्तीकरण केवल कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार से संभव नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, सुविधाओं तक सरल पहुँच, अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण के विकास की भी आवश्यकता है। दिव्यांगजनों को दया एवं सहायता के पात्र के रूप में देखने के स्थान पर समान अधिकारों वाले नागरिक के रूप में स्वीकार करना सामाजिक समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस दृष्टि से अधिकार-आधारित नीतियों, सामुदायिक जागरूकता तथा बाधारहित सामाजिक वातावरण का विकास दिव्यांगजनों की गरिमा, आत्मनिर्भरता एवं समान सहभागिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

प्रमुख शब्द: दिव्यांगजन, शासकीय कल्याणकारी सुविधाएँ, सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक समावेशन, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण, सार्वभौमिक समावेशन, दिव्यांगता, त्योंथर, रीवा।

1. प्रस्तावना

दिव्यांगजन किसी भी समाज की संरचना का अभिन्न अंग होते हैं। दिव्यांगता को केवल किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक अथवा संवेदी क्षमता में कमी के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर उसका प्रभाव काफी हद तक सामाजिक वातावरण, संस्थागत व्यवस्थाओं तथा समुदाय के व्यवहार से निर्धारित होता है। जब सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप अवसर और सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करा पाती, तब व्यक्तिगत कठिनाइयाँ सामाजिक बाधाओं का रूप ले लेती हैं। अतः दिव्यांगजनों की स्थिति को समझने के लिए उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के साथ-साथ सामाजिक स्वीकृति, समान अवसर, सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच और सामाजिक सहभागिता को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

भारत एक विविधतापूर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था वाला देश है। यहाँ दिव्यांगजनों की स्थिति शिक्षा, रोजगार, आर्थिक परिस्थितियों, पारिवारिक सहयोग, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक जीवन में सहभागिता जैसे अनेक पक्षों से प्रभावित होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांगजन दर्ज किए गए थे, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.21 प्रतिशत थे (भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, 2011)। यह संख्या इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि दिव्यांगता केवल व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक विकास और सार्वजनिक नीति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है।

दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में समय के साथ परिवर्तन आया है। पहले दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्यतः सहायता, संरक्षण और देखभाल की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में देखा जाता था। वर्तमान में इस दृष्टिकोण के स्थान पर समानता, गरिमा, स्वतंत्रता, गैर-भेदभाव और समान अवसरों पर आधारित दृष्टिकोण को महत्व दिया जा रहा है। इस परिवर्तन को विधिक आधार प्रदान करने में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस अधिनियम का उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें समाज में समान अवसर एवं सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, 2016)।

शासकीय कल्याणकारी सुविधाएँ दिव्यांगजनों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन सुविधाओं में सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार, कौशल विकास, पुनर्वास, सहायक उपकरण तथा अन्य आर्थिक एवं सामाजिक सहायता शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य दिव्यांगजनों को केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा समाज की मुख्यधारा में उनकी सहभागिता को बढ़ावा देना भी है। मध्य प्रदेश में भी दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न कल्याणकारी एवं सहायता संबंधी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य उनकी सामाजिक सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन, 2025)।

हालाँकि किसी योजना का उपलब्ध होना और उसका वास्तविक लाभ संबंधित व्यक्ति तक पहुँच पाना दो अलग-अलग स्थितियाँ हैं। अनेक बार योजनाओं की जानकारी का अभाव, आवेदन प्रक्रिया की कठिनाई, आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता, आर्थिक स्थिति, प्रशासनिक प्रक्रियाएँ तथा भौगोलिक दूरी जैसी परिस्थितियाँ दिव्यांगजनों को उपलब्ध सुविधाओं से वंचित कर सकती हैं। इसलिए कल्याणकारी योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन केवल उनकी संख्या अथवा सरकारी प्रावधानों के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह देखना भी आवश्यक है कि पात्र दिव्यांगजन इन सुविधाओं के बारे में कितने जागरूक हैं, उनका उपयोग कितनी सहजता से कर पा रहे हैं तथा इन सुविधाओं से उनके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है।

ग्रामीण एवं अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में यह विषय विशेष महत्व रखता है। स्थानीय सामाजिक संबंध, पारिवारिक संरचना, सामुदायिक मान्यताएँ तथा सरकारी संस्थाओं तक पहुँच दिव्यांगजनों के अनुभवों को प्रभावित कर सकती हैं। इसी संदर्भ में रीवा जिले की त्योंथर तहसील को क्षेत्रीय संदर्भ के रूप में भी ध्यान में रखा गया है। त्योंथर का समावेश अध्ययन को केवल स्थानीय स्तर तक सीमित करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि व्यापक भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण सामाजिक परिस्थितियों को समझने के लिए किया गया है।

अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में दिव्यांगजनों को केवल सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि समान अधिकारों वाले नागरिक के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस दृष्टिकोण में गरिमा, समान अवसर, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वतंत्र जीवन तथा सामाजिक एवं सार्वजनिक गतिविधियों में सहभागिता को विशेष महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार सार्वभौमिक समावेशन का उद्देश्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें दिव्यांगता किसी व्यक्ति की सामाजिक सहभागिता के मार्ग में अनावश्यक बाधा न बने। इसके लिए सरकारी नीतियों के साथ-साथ परिवार, समुदाय और सामाजिक संस्थाओं की सकारात्मक भूमिका भी आवश्यक है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन का केंद्र दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं, उनकी वास्तविक पहुँच तथा दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण के बीच संबंध को समझना है। अध्ययन में त्योंथर तहसील, रीवा को सीमित क्षेत्रीय संदर्भ के रूप में शामिल करते हुए व्यापक भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य को केंद्र में रखा गया है। इस प्रकार अध्ययन का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सहायता के पात्र व्यक्तियों के रूप में देखने के स्थान पर उन्हें समान अधिकारों, अवसरों और सामाजिक सम्मान वाले नागरिकों के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करना है।

2. साहित्य का पुनरावलोकन

दिव्यांगता से संबंधित पूर्ववर्ती अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि दिव्यांगजनों की सामाजिक स्थिति को केवल व्यक्तिगत शारीरिक या मानसिक कठिनाइयों के आधार पर नहीं समझा जा सकता। उनके जीवन में सामाजिक दृष्टिकोण, परिवार एवं समुदाय का सहयोग, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच तथा संस्थागत व्यवस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पिछले कुछ दशकों में दिव्यांगता के अध्ययन में भी परिवर्तन आया है और व्यक्तिगत अक्षमता की अपेक्षा सामाजिक बाधाओं, अधिकारों तथा समावेशन को अधिक महत्व दिया जाने लगा है।

भारत में दिव्यांगजनों की जनसांख्यिकीय स्थिति को समझने के लिए जनगणना के आँकड़े महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना में दिव्यांगजनों की संख्या लगभग 2.68 करोड़ दर्ज की गई थी। इन आँकड़ों में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के साथ-साथ ग्रामीण-शहरी वितरण, लिंग, शिक्षा और रोजगार जैसी सामाजिक विशेषताओं को भी सम्मिलित किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि दिव्यांगता का प्रश्न शिक्षा, आर्थिक सहभागिता तथा सामाजिक विकास जैसे व्यापक विषयों से जुड़ा हुआ है (भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, 2011)।

दिव्यांगता के अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को समझने वाले अध्ययनों में यह विचार प्रमुखता से सामने आया है कि सामाजिक एवं पर्यावरणीय बाधाएँ स्वयं दिव्यांगता के अनुभव को अधिक गंभीर बना सकती हैं। भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को इसी परिवर्तित दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण विधिक आधार माना गया है। इस अधिनियम के संबंध में किए गए विश्लेषण में यह बताया गया है कि कानून का उद्देश्य समानता, गैर-भेदभाव, गरिमा तथा समाज में पूर्ण सहभागिता को मजबूत करना है। साथ ही, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत क्षमता और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता भी रेखांकित की गई है (शर्मा एवं सहयोगी, 2019)।

भारत में दिव्यांगजनों की सामाजिक सहभागिता पर किए गए अध्ययनों में सामाजिक कलंक और भेदभाव को महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में पहचाना गया है। एक भारतीय अध्ययन में दिव्यांग प्रतिभागियों के सामाजिक व्यवहार और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में स्वयं को प्रस्तुत करने के अनुभवों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन से पता चला कि व्यक्ति अपने परिवार, शिक्षा, कार्यस्थल और समुदाय जैसे अलग-अलग सामाजिक परिवेशों में अपनी दिव्यांगता को प्रस्तुत करने तथा उसके प्रति दूसरों की प्रतिक्रिया के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि सामाजिक दृष्टिकोण व्यक्ति की आत्म-छवि तथा सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है (लाल एवं सहयोगी, 2019)।

उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों ने भी सामाजिक बहिष्करण की समस्या को सामने रखा है। ग्रामीण उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के अनुभवों पर किए गए एक गुणात्मक अध्ययन में सामाजिक दूरी, नकारात्मक सामाजिक निर्णय, कलंक, अलगाव तथा सामुदायिक जीवन में सीमित भागीदारी जैसे अनुभव सामने आए। अध्ययन ने यह संकेत दिया कि सामाजिक बहिष्करण केवल व्यक्तिगत स्तर की समस्या नहीं है, बल्कि संसाधनों, सामाजिक भूमिकाओं तथा सामुदायिक सहभागिता तक असमान पहुँच से भी जुड़ा हुआ है (ग्रोगन एवं सहयोगी, 2015)।

इसी प्रकार उत्तर भारत के देहरादून जिले में किए गए एक अध्ययन में मनोसामाजिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की सामुदायिक सेवाओं तक पहुँच तथा सामाजिक सहभागिता में आने वाली बाधाओं का परीक्षण किया गया। अध्ययन में रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सामुदायिक सहभागिता से संबंधित अपूर्ण आवश्यकताओं के साथ-साथ नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण, जानकारी की कमी और भौतिक पहुँच की समस्याओं को महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में पाया गया। शोधकर्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि केवल सेवाओं की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है; सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाने और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए सामुदायिक स्तर पर भी प्रयास आवश्यक हैं (दास एवं सहयोगी, 2018)।

दिव्यांगजनों के कल्याण में सामाजिक संबंधों की भूमिका पर किए गए अध्ययनों ने परिवार, मित्रों और समुदाय से प्राप्त सहयोग के महत्व को भी स्पष्ट किया है। केरल में किए गए एक राज्य-स्तरीय अध्ययन में सामाजिक संबंधों और दिव्यांगजनों के कल्याण के बीच संबंध का परीक्षण किया गया। अध्ययन में यह पाया गया कि सामाजिक एकीकरण का स्तर दिव्यांगजनों के जीवन की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है तथा सामाजिक कलंक और भेदभाव उनके सामाजिक समावेशन को कमजोर कर सकते हैं। अध्ययन ने इस बात पर बल दिया कि कल्याणकारी प्रयासों के साथ मजबूत सामाजिक नेटवर्क भी आवश्यक हैं (केरल संबंधी अध्ययन, 2023)।

दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सेवाओं और सहायता तक पहुँच के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है। हाल के एक अध्ययन में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर दिव्यांगजनों की सहायता तथा पुनर्वास सेवाओं तक पहुँच का विश्लेषण किया गया। अध्ययन से यह संकेत मिला कि दिव्यांगजनों की आवश्यकताएँ केवल व्यक्तिगत देखभाल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक एकीकरण, सार्वजनिक पहुँच, रोजगार, आर्थिक पुनर्वास, प्रमाण-पत्र तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी सहायता तक फैली हुई हैं। अध्ययन ने यह भी रेखांकित किया कि सेवाओं की उपलब्धता और उनके वास्तविक उपयोग के बीच अंतर को समझना आवश्यक है (भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आधारित अध्ययन, 2025)।

उपलब्ध साहित्य से यह भी स्पष्ट होता है कि दिव्यांगता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण केवल प्रत्यक्ष भेदभाव तक सीमित नहीं है। कभी-कभी अत्यधिक दया, व्यक्ति को निर्भर मानना, उसकी क्षमता को कम आँकना अथवा उसकी ओर से निर्णय लेना भी उसकी स्वायत्तता को सीमित कर सकता है। दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को मापने के लिए विकसित विभिन्न मापनी-आधारित अध्ययनों में हीनता की धारणा, अनावश्यक सहानुभूति, पूर्वाग्रह तथा सहायता पर अत्यधिक निर्भर मानने जैसी प्रवृत्तियों को सामाजिक बाधाओं के रूप में पहचाना गया है (मॉरिस एवं सहयोगी, 2021)।

साहित्य से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष

पूर्ववर्ती अध्ययनों के समग्र अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं—

1. दिव्यांगजनों की सामाजिक स्थिति केवल उनकी व्यक्तिगत कार्यक्षमता से निर्धारित नहीं होती, बल्कि सामाजिक एवं संस्थागत वातावरण की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
2. सामाजिक कलंक, पूर्वाग्रह और भेदभाव दिव्यांगजनों की सामाजिक सहभागिता को सीमित करने वाले प्रमुख कारक हैं।
3. परिवार एवं समुदाय का सहयोग दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेशन और कल्याण को मजबूत कर सकता है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दूरी और संस्थागत सुविधाओं तक पहुँच का प्रश्न विशेष महत्व रखता है।
5. अधिकार-आधारित दृष्टिकोण दिव्यांगजनों को सहायता के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के स्थान पर समान अधिकार वाले नागरिक के रूप में देखने पर बल देता है।
6. दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेशन के लिए सरकारी नीतियों और सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन दोनों आवश्यक हैं।

शोध-अंतराल

उपलब्ध साहित्य से यह स्पष्ट है कि भारत में दिव्यांगता, सामाजिक कलंक, सामाजिक सहभागिता, कल्याणकारी सेवाओं और अधिकारों से संबंधित अनेक अध्ययन किए गए हैं। फिर भी इन अध्ययनों में शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं तक वास्तविक पहुँच और दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को एक साथ रखकर देखने वाले क्षेत्रीय अध्ययनों की आवश्यकता बनी हुई है। विशेष रूप से ग्रामीण सामाजिक परिवेश में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकारी सुविधाओं की जानकारी और उपलब्धता किस प्रकार सामाजिक सहभागिता को प्रभावित करती है तथा परिवार एवं समुदाय का दृष्टिकोण इन सुविधाओं के वास्तविक लाभ को किस सीमा तक प्रभावित करता है। इसी शोध-अंतराल को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन में शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं की पहुँच और दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को एक संयुक्त परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया गया है।

3. अध्ययन के उद्देश्य एवं परिकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं की पहुँच तथा उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को व्यापक सामाजिक संदर्भ में समझना है। अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि दिव्यांगजन उपलब्ध सुविधाओं के बारे में कितने जागरूक हैं, इन सुविधाओं तक उनकी पहुँच किस प्रकार की है तथा परिवार और समुदाय का व्यवहार उनके सामाजिक जीवन एवं सहभागिता को किस सीमा तक प्रभावित करता है। साथ ही, अध्ययन अधिकार-आधारित एवं सार्वभौमिक समावेशन की दृष्टि से दिव्यांगजनों की स्थिति को समझने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उद्देश्य एवं परिकल्पनाएँ निर्धारित की गई हैं।

3.1 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं के प्रति उनकी जागरूकता एवं पहुँच का अध्ययन करना।
2. दिव्यांगजनों द्वारा प्राप्त की जा रही शासकीय सुविधाओं की प्रकृति एवं उपयोगिता का आकलन करना।
3. दिव्यांगजनों के प्रति परिवार एवं समुदाय के सामाजिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करना।
4. शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं तक पहुँच में आने वाली प्रमुख सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक बाधाओं की पहचान करना।
5. दिव्यांगजनों की सामाजिक सहभागिता एवं समावेशन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का अध्ययन करना।
6. दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी सुविधाओं को अधिक प्रभावी एवं समावेशी बनाने हेतु उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करना।

3.2 परिकल्पना

अध्ययन के उद्देश्यों तथा विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ निर्धारित की गई हैं—

परिकल्पना 1: शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं के प्रति दिव्यांगजनों की जागरूकता और उन सुविधाओं के वास्तविक उपयोग के बीच सार्थक संबंध है।

परिकल्पना 2: दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण उनके सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है।

परिकल्पना 3: दिव्यांगजनों की शैक्षिक स्थिति और शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं तक उनकी पहुँच के बीच सार्थक संबंध है।

परिकल्पना 4: शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं तक बेहतर पहुँच दिव्यांगजनों की सामाजिक सहभागिता को बढ़ाने में सहायक होती है।

परिकल्पना 5: परिवार एवं समुदाय से प्राप्त सहयोग का दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेशन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

परिकल्पना 6: शासकीय सुविधाओं तक पहुँच में आने वाली सामाजिक एवं प्रशासनिक बाधाएँ दिव्यांगजनों द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के प्रभावी उपयोग को प्रभावित करती हैं।

4. शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं की पहुँच तथा उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का व्यवस्थित एवं प्रमाण-आधारित विश्लेषण करना है। अध्ययन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसी शोध पद्धति अपनाई गई है, जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, शासकीय सुविधाओं के प्रति जागरूकता, सुविधाओं की वास्तविक पहुँच तथा सामाजिक व्यवहार से संबंधित विभिन्न पक्षों को समझा जा सके। अध्ययन में व्यापक भारतीय सामाजिक संदर्भ को केंद्र में रखते हुए रीवा जिले की त्योंथर तहसील को क्षेत्रीय संदर्भ के रूप में भी सम्मिलित किया गया है।

4.1 शोध-अभिकल्प एवं अध्ययन की प्रकृति

प्रस्तुत अध्ययन के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-अभिकल्प अपनाया गया है। वर्णनात्मक पक्ष के अंतर्गत दिव्यांगजनों की सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि तथा शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं की उपलब्धता एवं पहुँच से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाएगा। विश्लेषणात्मक पक्ष के अंतर्गत शासकीय सुविधाओं की जागरूकता, सुविधा-प्राप्ति, सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक सहभागिता एवं समावेशन जैसे पक्षों के बीच संबंधों का परीक्षण किया जाएगा।

अध्ययन का स्वरूप मुख्यतः क्षेत्र-आधारित है, जिसमें प्राथमिक जानकारी को सामाजिक परिस्थितियों के प्रत्यक्ष अध्ययन के आधार के रूप में तथा द्वितीयक सामग्री को विषय की व्यापक पृष्ठभूमि एवं नीतिगत संदर्भ समझने के लिए उपयोग किया जाएगा।

4.2 अध्ययन का क्षेत्र एवं संदर्भ

अध्ययन का व्यापक संदर्भ भारतीय समाज है। दिव्यांगजनों की स्थिति को समझने के लिए सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक तथा संस्थागत परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है। क्षेत्रीय संदर्भ के रूप में रीवा जिले की त्योंथर तहसील, मध्य प्रदेश को सम्मिलित किया गया है।

त्योंथर का समावेश अध्ययन को केवल स्थानीय स्तर तक सीमित करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण सामाजिक परिवेश में दिव्यांगजनों के अनुभवों, शासकीय सुविधाओं तक पहुँच तथा परिवार एवं समुदाय के व्यवहार को व्यापक विषय के संदर्भ में समझना है। क्षेत्रीय स्तर से प्राप्त जानकारी व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य के पूरक के रूप में उपयोग की जाएगी।

4.3 अध्ययन की जनसंख्या एवं नमूना चयन

अध्ययन की लक्षित जनसंख्या में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले व्यक्ति सम्मिलित किए जाएंगे। प्राथमिक आँकड़ों के संकलन हेतु अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप उत्तरदाताओं का चयन किया जाएगा। नमूना चयन में आयु, लिंग, शैक्षिक स्थिति, दिव्यांगता का प्रकार, व्यवसाय तथा सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि जैसे पक्षों को ध्यान में रखा जाएगा।

उत्तरदाताओं की अंतिम संख्या वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित की जाएगी। नमूना चयन का उद्देश्य अध्ययन के लिए ऐसी जानकारी प्राप्त करना होगा, जिससे दिव्यांगजनों की सुविधाओं तक पहुँच तथा उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण के विभिन्न आयामों का उचित विश्लेषण किया जा सके।

4.4 आँकड़ों के स्रोत एवं संकलन की प्रक्रिया

अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया जाएगा।

प्राथमिक आँकड़े दिव्यांगजनों से प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए संरचित प्रश्नावली तथा आवश्यकता के अनुसार साक्षात्कार का प्रयोग किया जाएगा। उत्तरदाताओं से उनकी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, शासकीय योजनाओं की जानकारी, सुविधाओं की प्राप्ति, उपयोगिता तथा सुविधा प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाएगी।

द्वितीयक आँकड़े भारत की जनगणना, केंद्र एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों के प्रकाशनों, सरकारी प्रतिवेदनों, अधिनियमों, नीतिगत दस्तावेजों, पुस्तकों तथा प्रकाशित शोध अध्ययनों से प्राप्त किए जाएंगे। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का संयुक्त उपयोग अध्ययन को सामाजिक तथा नीतिगत दोनों दृष्टियों से अधिक व्यापक बनाने में सहायक होगा।

4.5 शोध उपकरण एवं प्रमुख अध्ययन आयाम

प्राथमिक आँकड़ों के संकलन के लिए अध्ययन के उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं के अनुरूप संरचित प्रश्नावली तैयार की जाएगी। प्रश्नावली को विषय की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न भागों में विभाजित किया जाएगा।

प्रश्नावली में मुख्यतः निम्नलिखित आयामों को सम्मिलित किया जाएगा—

क्रमांक	अध्ययन आयाम	प्रमुख विषय
1	सामाजिक एवं व्यक्तिगत पृष्ठभूमि	आयु, लिंग, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति
2	आर्थिक स्थिति	व्यवसाय, आय एवं आजीविका
3	शासकीय सुविधाओं की जानकारी	योजनाओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता
4	सुविधाओं तक पहुँच	आवेदन, पात्रता एवं लाभ प्राप्ति
5	सुविधाओं का उपयोग	प्राप्त लाभ एवं उपयोगिता
6	सामाजिक दृष्टिकोण	परिवार एवं समुदाय का व्यवहार
7	सामाजिक सहभागिता	सामाजिक एवं सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी
8	सामाजिक समावेशन	समान अवसर, स्वीकृति एवं सम्मान

4.7 शोध प्रक्रिया

अध्ययन को क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक रूप से संचालित करने के लिए शोध प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है। शोध समस्या के निर्धारण से लेकर निष्कर्ष एवं सुझाव तैयार करने तक प्रत्येक चरण को अध्ययन के निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप पूरा किया जाएगा।

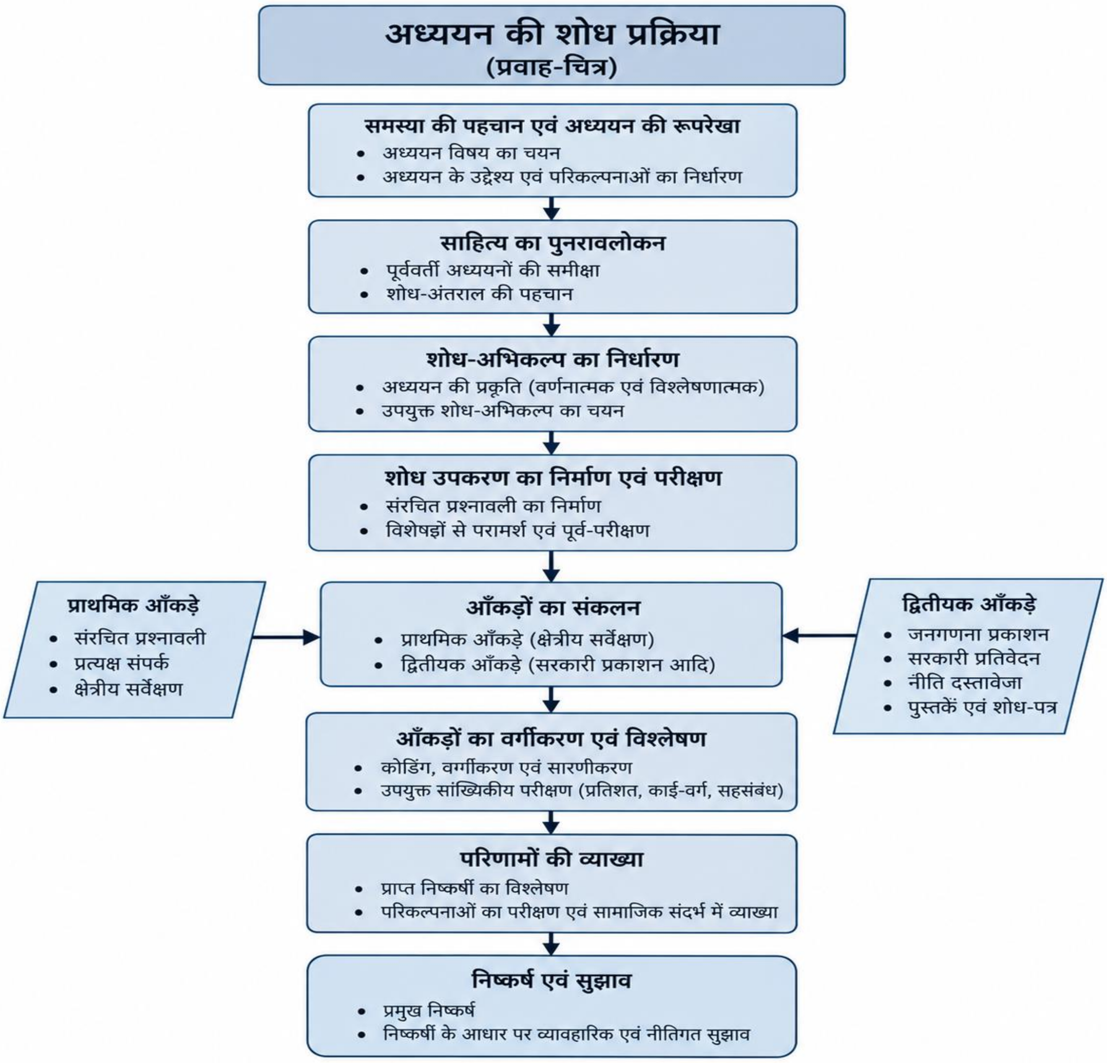

चित्र 1 : दिव्यांगजनों से संबंधित अध्ययन की शोध प्रक्रिया एवं कार्यप्रवाह

4.8 विश्वसनीयता एवं नैतिक पक्ष

अध्ययन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रश्नावली का निर्माण निर्धारित उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं के अनुरूप किया जाएगा। प्रश्नों को स्पष्ट एवं सरल रखा जाएगा ताकि विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले उत्तरदाता उन्हें सहजता से समझ सकें। प्रश्नावली के प्रयोग से पूर्व आवश्यकतानुसार सीमित स्तर पर परीक्षण किया जाएगा तथा प्राप्त अनुभव के आधार पर अस्पष्ट प्रश्नों में सुधार किया जाएगा।

शोध प्रक्रिया में उत्तरदाताओं की गरिमा, स्वतंत्र इच्छा एवं व्यक्तिगत गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उनसे प्राप्त जानकारी का उपयोग केवल शोध संबंधी उद्देश्य से किया जाएगा। व्यक्तिगत पहचान से संबंधित जानकारी को अनावश्यक रूप से प्रकाशित नहीं किया जाएगा। आँकड़ों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष वास्तविक रूप से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार के अनुमानित आँकड़ों को वास्तविक परिणाम के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

5. परिणाम एवं चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं की पहुँच तथा उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का अधिकार-आधारित एवं सार्वभौमिक समावेशन के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर के आँकड़ों के साथ मध्य प्रदेश तथा रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र को क्षेत्रीय संदर्भ के रूप में लिया गया है। अध्ययन में उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है।

5.1 भारत में दिव्यांगजनों की स्थिति

भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 2,68,14,994 दिव्यांगजन दर्ज किए गए, जो कुल जनसंख्या का लगभग 2.21 प्रतिशत हैं। इनमें पुरुषों की संख्या 1,49,88,593 तथा महिलाओं की संख्या 1,18,26,401 थी। दिव्यांग आबादी का लगभग 69 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा लगभग 31 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में निवास करता था। यह तथ्य दर्शाता है कि दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी पहुँच केवल शहरी संस्थागत व्यवस्था तक सीमित न रहकर ग्रामीण क्षेत्रों तक भी सुनिश्चित की जानी आवश्यक है (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 2021)।

तालिका 5.1 भारत में दिव्यांगजनों की स्थिति, जनगणना 2011

सूचक	आँकड़ा
कुल दिव्यांगजन	2,68,14,994
कुल जनसंख्या में प्रतिशत	2.21%
पुरुष दिव्यांगजन	1,49,88,593
महिला दिव्यांगजन	1,18,26,401
ग्रामीण क्षेत्र में हिस्सा	लगभग 69%
नगरीय क्षेत्र में हिस्सा	लगभग 31%

स्रोत: भारत की जनगणना 2011 एवं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

भारत में दिव्यांगता के विभिन्न प्रकारों में चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता, दृष्टि तथा श्रवण संबंधी दिव्यांगता प्रमुख श्रेणियों में शामिल हैं। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार चलन-संबंधी दिव्यांगता लगभग 20 प्रतिशत, दृष्टि तथा श्रवण संबंधी दिव्यांगता लगभग 19-19 प्रतिशत और बहुदिव्यांगता लगभग 8 प्रतिशत थी। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी सुविधाओं की योजना बनाते समय दिव्यांगता के विभिन्न प्रकारों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

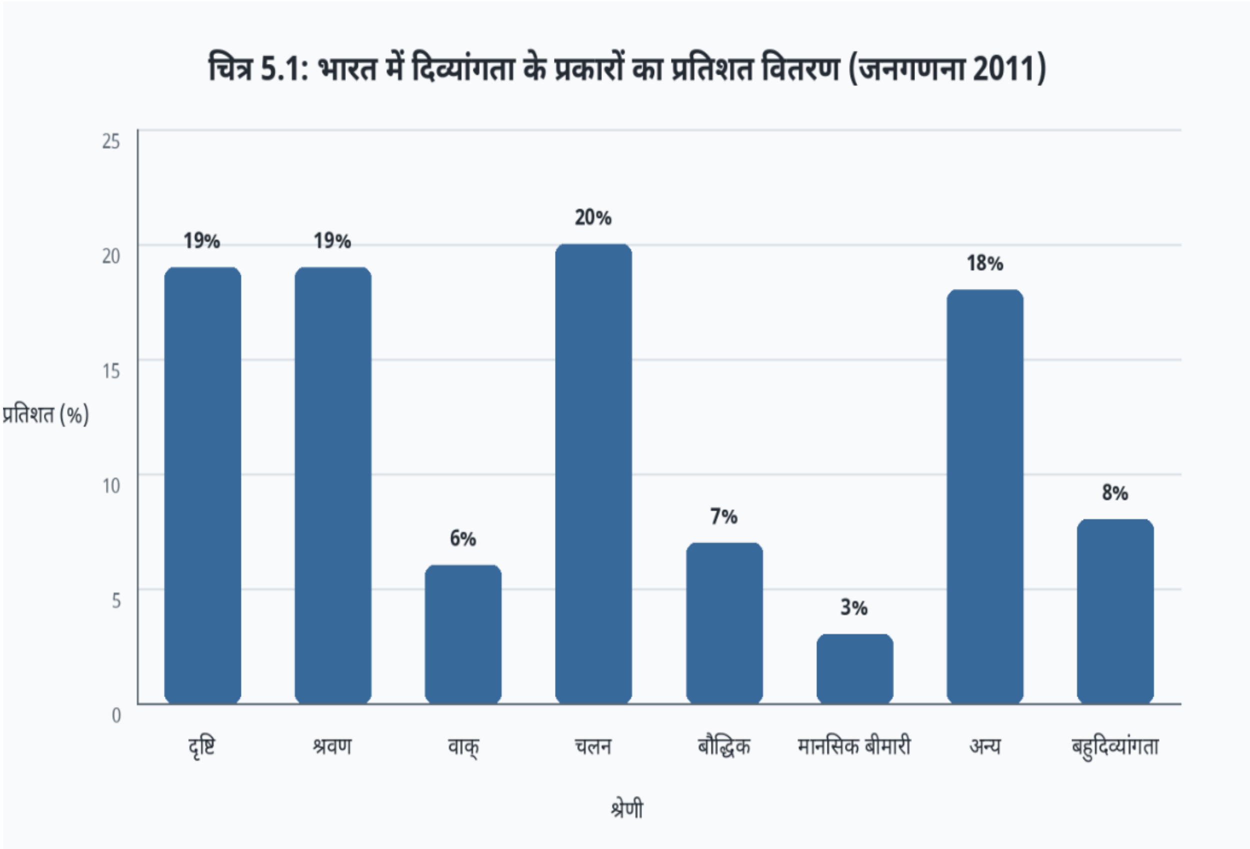

चित्र 2: भारत में दिव्यांगता के प्रकारों का प्रतिशत वितरण

5.2 मध्य प्रदेश का संदर्भ

मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल **15,51,931 दिव्यांगजन** दर्ज किए गए। इनमें पुरुषों की संख्या 8,88,751 तथा महिलाओं की संख्या 6,63,180 थी। दृष्टि संबंधी दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की संख्या 2,70,751 दर्ज की गई। राज्य में ग्रामीण आबादी की बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए दिव्यांगजनों तक योजनाओं, प्रमाण-पत्र, पेंशन, सहायक उपकरण, शिक्षा तथा रोजगार संबंधी सेवाओं की पहुँच एक महत्वपूर्ण सामाजिक नीति का विषय बनती है।

तालिका 5.2 मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों से संबंधित प्रमुख आँकड़े, जनगणना 2011

सूचक	संख्या
कुल दिव्यांगजन	15,51,931
पुरुष	8,88,751
महिला	6,63,180
दृष्टि संबंधी दिव्यांगजन	2,70,751

स्रोत: भारत की जनगणना 2011, प्राथमिक जनगणना सारणी।

5.3 रीवा एवं त्योंथर का क्षेत्रीय संदर्भ

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के आँकड़ों के बाद अध्ययन में रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र को क्षेत्रीय संदर्भ के रूप में देखा गया है। जनगणना अभिलेखों में त्योंथर को रीवा जिले के एक उप-जिले के रूप में कोड 03471 के अंतर्गत दर्ज किया गया है।2011 की जनगणना-आधारित आँकड़ों के अनुसार त्योंथर उप-जिले की कुल जनसंख्या 2,51,853 थी, जिसमें 2,24,136 ग्रामीण तथा 27,717 नगरीय जनसंख्या शामिल थी। पुरुषों की संख्या 1,31,379 और महिलाओं की संख्या 1,20,474 थी।

तालिका 5.3 त्योंथर उप-जिले की जनसांख्यिकीय स्थिति, 2011

सूचक	ग्रामीण	नगरीय	कुल
कुल जनसंख्या	2,24,136	27,717	2,51,853
पुरुष	1,16,963	14,416	1,31,379
महिला	1,07,173	13,301	1,20,474
परिवारों की संख्या	50,523	5,372	55,895

स्रोत: जनगणना 2011 आधारित क्षेत्रीय आँकड़े।

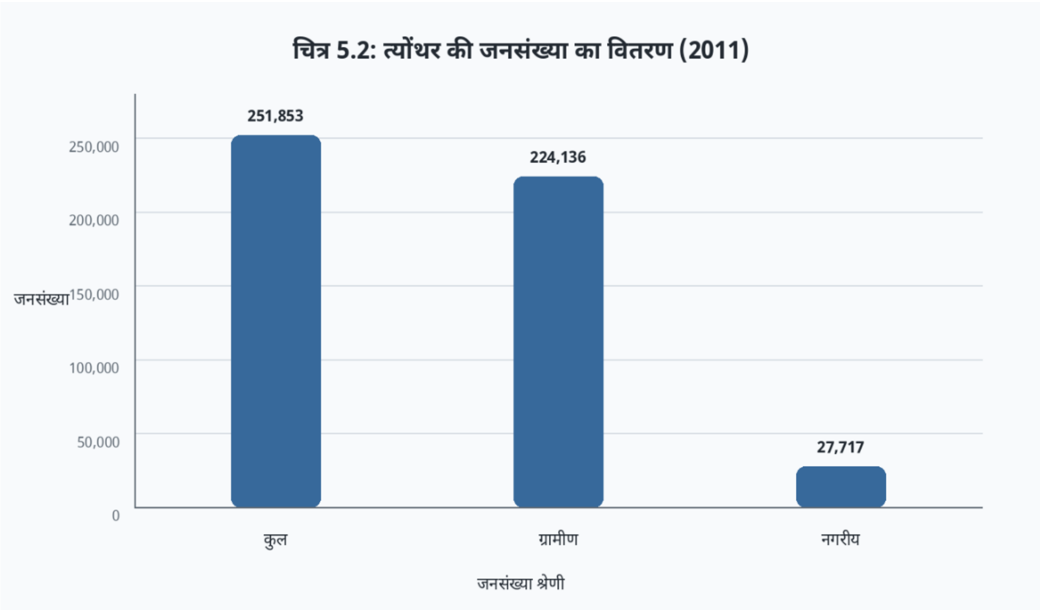

चित्र 3: त्योंथर में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का तुलनात्मक वितरण

त्योंथर के आँकड़े यह संकेत देते हैं कि क्षेत्र में ग्रामीण आबादी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए दिव्यांगजनों के लिए शासकीय सुविधाओं की पहुँच का अध्ययन करते समय केवल योजना की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, बल्कि सूचना की उपलब्धता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजी आवश्यकताओं, स्थानीय संस्थाओं की भूमिका तथा लाभ प्राप्त करने के बाद वास्तविक उपयोग को भी समझना आवश्यक है।

5.4 शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं की पहुँच

दिव्यांगजनों के लिए शासकीय योजनाओं की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि पात्र व्यक्ति को योजना की जानकारी कितनी आसानी से प्राप्त होती है, आवेदन प्रक्रिया कितनी सरल है और लाभ वास्तविक रूप से कितनी नियमितता से प्राप्त होता है। केवल योजना का अस्तित्व सामाजिक समावेशन की गारंटी नहीं देता।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का अभाव, दस्तावेजी प्रक्रिया, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कठिनाई, कार्यालयों तक भौतिक पहुँच तथा डिजिटल प्रक्रियाओं से संबंधित बाधाएँ लाभ प्राप्ति को प्रभावित कर सकती हैं। अतः कल्याणकारी व्यवस्था को अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन, पंचायत संस्थाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

5.5 सामाजिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक सहभागिता

दिव्यांगता केवल शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि व्यक्ति और उसके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के बीच संबंधों से भी प्रभावित होती है (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2011)। यदि समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति दया, निर्भरता या असमर्थता की स्थायी धारणा बनी रहती है, तो सरकारी सुविधाएँ उपलब्ध होने के बावजूद उनका सामाजिक सहभागिता का स्तर सीमित रह सकता है।

इसके विपरीत शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक निर्णय-प्रक्रिया, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा सामुदायिक जीवन में समान भागीदारी के अवसर सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस दृष्टि से शासकीय योजनाओं को केवल आर्थिक सहायता के साधन के रूप में न देखकर सामाजिक भागीदारी और समान अवसरों को बढ़ाने वाले माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए।

5.6 शासकीय सुविधाएँ और सामाजिक समावेशन

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शासकीय सुविधा और सामाजिक समावेशन के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सहायक उपकरण, रोजगार तथा कौशल विकास जैसी सुविधाएँ समय पर प्राप्त होती हैं, तो उसकी स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी बढ़ने की संभावना रहती है।

इस संबंध को निम्न प्रकार समझा जा सकता है:

5.7 समग्र चर्चा

भारत के राष्ट्रीय आँकड़ों से लेकर मध्य प्रदेश और त्योंथर के क्षेत्रीय संदर्भ तक देखने पर यह स्पष्ट होता है कि दिव्यांगजनों के कल्याण का प्रश्न बहुआयामी है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में दिव्यांगजन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि त्योंथर जैसे क्षेत्रों में भी ग्रामीण आबादी का पर्याप्त हिस्सा मौजूद है। इसलिए योजनाओं की वास्तविक सफलता उनके स्थानीय स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

अतः दिव्यांगजनों के लिए समावेशी व्यवस्था विकसित करने हेतु केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं है। सूचना, प्रमाण-पत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच और सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को एक साथ विकसित करना आवश्यक है। यही दृष्टिकोण दिव्यांगजनों को कल्याण के लाभार्थी से आगे बढ़ाकर समान अधिकारों वाले सक्रिय नागरिक के रूप में स्थापित करता है।

6. निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दिव्यांगजनों के लिए शासकीय कल्याणकारी योजनाएँ सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर और सामाजिक समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि, केवल योजनाओं की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। योजनाओं की जानकारी, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आवेदन प्रक्रिया, संस्थागत सहयोग तथा लाभ की वास्तविक प्राप्ति उनकी प्रभावी पहुँच को निर्धारित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं सेवाओं तक सीमित पहुँच एक महत्वपूर्ण चुनौती है। साथ ही, दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण भी उनके शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सहभागिता को प्रभावित करता है। अतः कल्याणकारी व्यवस्था को सहायता-आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाकर अधिकार, समानता और सम्मान पर आधारित बनाया जाना आवश्यक है।

त्योंथर जैसे ग्रामीण-प्रधान क्षेत्रों का संदर्भ यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की योजनाओं का वास्तविक प्रभाव स्थानीय स्तर पर उनके क्रियान्वयन और पहुँच पर निर्भर करता है।

प्रमुख सुझाव

1. दिव्यांगजनों को शासकीय योजनाओं की सरल एवं स्थानीय भाषा में जानकारी दी जाए।
2. प्रमाण-पत्र एवं आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाए।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर सहायता एवं सूचना केंद्र मजबूत किए जाएँ।
4. सरकारी कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और शिक्षण संस्थानों को दिव्यांग-अनुकूल बनाया जाए।

5. शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाए।

6. दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक एवं अधिकार-आधारित सामाजिक दृष्टिकोण विकसित किया जाए।

7. नीतियों के निर्माण एवं मूल्यांकन में दिव्यांगजनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

भविष्य की संभावना

भविष्य में त्योंथर एवं रीवा क्षेत्र में प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से शासकीय योजनाओं की वास्तविक पहुँच, सामाजिक दृष्टिकोण तथा दिव्यांगजनों की सामाजिक सहभागिता का अधिक विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है।

7. संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, ए. (2016)। *दिव्यांगता और सामाजिक समावेशन*। नई दिल्ली: सामाजिक विज्ञान प्रकाशन।

2. ओलिवर, एम. (1990)। *दिव्यांगता की राजनीति*। लंदन: मैकमिलन।

3. चौहान, एम. (2018)। दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक सहभागिता। *समाज एवं संस्कृति*, 7(1), 34–48।

4. जैन, पी. (2019)। समावेशी शिक्षा और दिव्यांग विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी। *शैक्षिक विमर्श*, 15(2), 112–125।

5. जोशी, एन. (2020)। दिव्यांगता और सामाजिक बहिष्करण: भारतीय परिप्रेक्ष्य। *समाजशास्त्र एवं सामाजिक परिवर्तन*, 8(3), 67–80।

6. तिवारी, एस. (2021)। दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेशन में सरकारी नीतियों की भूमिका। *भारतीय सामाजिक अध्ययन*, 10(2), 91–105।

7. पाण्डेय, आर. (2018)। दिव्यांगता और अधिकार-आधारित सामाजिक नीति। *सामाजिक नीति एवं विकास*, 6(2), 52–65।

8. भारत की जनगणना। (2011)। *भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की जनगणना, 2011*। नई दिल्ली: भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय।

9. भारत का विधि आयोग। (2000)। *दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित विधिक एवं सामाजिक मुद्दे*। नई दिल्ली: भारत सरकार।

10. भारत सरकार। (2016)। *दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016*। नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।

11. भारत सरकार। (2021)। *दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कल्याणकारी कार्यक्रम*। नई दिल्ली: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

12. भारतीय पुनर्वास परिषद। (2019)। *दिव्यांगता पुनर्वास एवं समावेशी विकास*। नई दिल्ली: भारतीय पुनर्वास परिषद।

13. मिश्रा, के. (2020)। दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तीकरण की समस्याएँ एवं संभावनाएँ। *विकास अध्ययन पत्रिका*, 13(1), 73–87।

14. वर्मा, एस. (2019)। दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह और समावेशन। *भारतीय समाज और विकास*, 5(2), 41–54।

15. विश्व स्वास्थ्य संगठन। (2001)। *कार्यशीलता, दिव्यांगता और स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण*। जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन।

16. विश्व स्वास्थ्य संगठन। (2011)। *विश्व दिव्यांगता रिपोर्ट*। जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन।

17. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। (2020)। *दिव्यांगजनों के लिए शासकीय योजनाएँ एवं कार्यक्रम*। नई दिल्ली: भारत सरकार।

18. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। (2022)। *दिव्यांगजनों के अधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ*। नई दिल्ली: भारत सरकार।

19. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। (2021)। *भारत में दिव्यांगजन: एक सांख्यिकीय रूपरेखा*। नई दिल्ली: भारत सरकार।

20. शर्मा, आर. (2018)। दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेशन की चुनौतियाँ: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। *भारतीय सामाजिक विज्ञान पत्रिका*, 12(2), 45–58।

21. शर्मा, एस. (2020)। ग्रामीण भारत में दिव्यांगजनों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। *समाजशास्त्रीय अध्ययन*, 18(1), 71–84।

22. शेक्सपियर, टी. (2014)। *दिव्यांगता अधिकार और गलत धारणाओं का पुनर्विचार*। लंदन: रूटलेज।

23. सेन, ए. (1999)। *विकास का अर्थ: स्वतंत्रता*। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

24. सिंह, ए. (2017)। दिव्यांगता, सामाजिक दृष्टिकोण एवं समान अवसर। *भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा,* 9(2), 101–115।
25. सिंह, पी. (2019)। दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रभावशीलता। *सामाजिक अनुसंधान पत्रिका,* 14(3), 56–69।
26. सिंह, आर. (2021)। ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच। *ग्रामीण विकास अध्ययन,* 11(2), 89–103।
27. संयुक्त राष्ट्र। (2006)। *दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय*। न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।
28. संयुक्त राष्ट्र। (2015)। *सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा*। न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।
29. यादव, आर. (2021)। ग्रामीण समाज में दिव्यांगजनों की सामाजिक स्थिति। *ग्रामीण समाजशास्त्र,* 9(1), 63–77।
30. विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं विश्व बैंक। (2011)। *विश्व दिव्यांगता रिपोर्ट*। जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन।